भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 16*

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' में संशोधन

16*. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उन संशोधनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस अधिनियम में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में अत्यधिक कमी होने और लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्यसभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : सरकार ने दिनांक 21.07.2014 की अधिसूचना के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची – I के पैरा 4 और 20 में संशोधन किए गए हैं जिसके जरिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि लागत के संबंध में किसी जिले में किए गए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षारोपण विकास के माध्यम से सीधे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से सीधे जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होंगे। मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए समग्र सामग्री घटक जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****